न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 137/2020

प्राथी

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री इन्दरसिंह पुत्र श्री दुर्जनसिंह निवासी चवरली ग्राम पंचायत आदर्श तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही प्रार्थी की ओर से
2. श्री महेश शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय दिनांक 04.04.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.02.2009 पट्टा संख्या 007113 दिनांक 14.09.2009 क्षेत्रफल 2271 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से सहायक विकास अधिकारी सिरोही ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत आदर्श द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित पट्टा जारी किए है। यह है कि ग्राम पंचायत को सुनिर्मित क्षेत्र का पट्टा जारी करने का अधिकार प्राप्त है एवं राजस्थान पंचायतीराज नि[illegible] के नियम 157 उपनियम (1) के अन्तर्गत जारी विक्रय विलेख 2271 वर्गफीट [illegible] किया गया है, उस निर्मित भवन/मकान के क्षेत्रफल तथ [illegible] प्रतिशत तक ही उपयोग में आने वाली कब्जाशुदा भूमि को सम्मिलित किया [illegible] परन्तु उससे अधिक [illegible] का बिना छत वाला क्षेत्रफल सम्मिलित कर नियमों की अवहेलना की गई है। [illegible] कि नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने में किसी भी गवाह सबूत किए जाने का अभाव पाया गया।यह है कि विवादित पट्टा पुराने कब्जे के आधार पर पर बिना किसी साक्ष्यों के आधार पर जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विवादित पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत रूपए 200/– शुल्क

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhahwar Lal
Date: 2022.04.20 16:20:40 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

लेकर जारी किया गया है, जिससे पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है। पंचायत स्तर पर नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही, जांच सम्पन्न नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या दो नियम 157(ख) के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्र व्यक्ति नही था।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री महेश शर्मा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानीं मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(ख) के तहत पुराने मकान का पट्टा शुल्क 200/—रूपए लेकर जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या—एक द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमो के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है । अप्रार्थी संख्या—दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है यह है कि पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज विभाग, राज.जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है । अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह निगरानी म्याद बाहर होने से अपरिपोषणीय है। राजस्थान सरकार के दिशा—निर्देश पंचायती राज के नियम नही है । अप्रार्थी संख्या दो ने यथा संभव उसे प्राप्त पंचायती राज विभाग के दिशा—निर्देशों की पालना की है उक्त दिशा निर्देश 'सक्ष निर्देश' की श्रेणी मे आते है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भाग में नियमानुसार सम्पत्ति खरीदने का कानूनन हक व अधिकार प्राप्त है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा—61 के तहत अधिनस्थ पंचायत के आदेशों के विरूद्ध अपील आदेश के 30 दिनों के भीतर पंचायत समिति को करनी चाहिए थी।

यह है कि ग्राम पंचायत आदर्श द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में पंचायतीराज के प्रावधानों के तहत ही पट्टा जारी किया गया है, जिसमें अप्रार्थी संख्या दो के हक की भूमि को सम्मिलित किया गया है। प्रार्थी द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह है कि नियम 157(ख) के तहत पुराने कब्जे के निर्मित मकान व उसके परिसर एवं कब्जे की सम्पूर्ण 300 वर्गगज की भूमि का पट्टा जारी करने की मांग पर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त पट्टे की भूमि की पात्रता की जांच करने के बाद ही पट्टा जारी किया गया है, जो नियमानुसार सही है। नियम 157(ख) में अंकित प्रावधानों के तहत 300 वर्गगज भूमि का 25 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए पट्टा जारी किया गया है। यह है कि ग्राम पंचायत आदर्श द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त पट्टा संख्या 007113 दिनांक 20.02.2009 को उपपंजीयन कार्यालय पिण्डवाडा में पंजीयन करवाया गया है एवं पंजीयनशुदा दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त करवाए बगैर प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से खारिज काबिल है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावे।।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉंति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:20:40 IST
Reason: SelfAttested

जहॉं तक अप्रार्थी संख्या दो के अ[illegible] प्रस्तुत आपत्ति का प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधि[illegible] निगरानी पेश करने हेतु कोई अवधि निर्धारित नही है [illegible] के विनिश्चिय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के [illegible] या ऐसी कार्यवाहियों के बारे में स्वंय का समाधान करने एवं उसकी परीक्षा स्वप्रेरणा से करने के राज[illegible] सरकार के अधिकार जिला कलक्टर को प्रदत्त है ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, आदर्श द्वारा रूपए 200/— शुल्क लेकर जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(ख) के अनुसार—

157.—पुराने गृहों का विनियमितिकरण— जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा—

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

जहां तक अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किए जाने का कथन है इस संबंध मे विधिक दृष्टान्त सएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियाँ जिला कलेक्टर को दी गई है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 की धारा 27(क) सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961 के नियम 272 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पचांयत आदर्श द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टा कुल 2271 वर्गफीट क्षेत्रफल का जारी किया गया है, जिसमें 559 वर्गफीट क्षेत्रफल पर मकान बना हुआ है एवं शेष 1712 वर्गफीट क्षेत्रफल खाली पडा हुआ है। चूंकि उक्त विवादित पट्टा वर्ष 2009 में जारी किया गया है, उस समय उक्त नियम के अनुसार—

नियम 157—पुराने गृहो का विनियमितिकरण— जहाँ व्यक्तियों के कब्जे से आबादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों तो वह निम्न अनुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात् [illegible] जारी किया जा सकेगाः—

(क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु [illegible] ;
चयनित परिवार से यह राशि वसूल नहीं होगी
(ख) 50 वर्षो का दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 [illegible]

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सूची में सम्मिलित परिवार के लिए खण्ड (क) के अन्तर्गत कोई राशि देय नहीं होगी तथा खण्ड (ख) के अन्तर्गत कुल देय राशि के 10 प्रतिशत देय होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:20:40 IST
Reason: SelfAttested

Bello
जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत आदर्श द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में पट्टा जारी करते समय उक्त नियम का उल्लंघन किया गया है। जहां तक अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का कथन है कि राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जरिए पत्र क्रमांकःएफ.139()पराविि/विधि/नियम/मार्गदर्शन/2012/23 दिनांक 10.01.2013 के द्वारा उक्त नियम में संशोधन किया गया है कि पंचायत द्वारा कब्जे वाली आबादी भूमि, जिसमें निर्मित भवन/मकान (कच्चा/पक्का) सम्मिलित हो अधिकतम 300 वर्गगज तक निर्मित भवन/मकान के क्षेत्रफल तथा इस निर्मित एरिया के 25 प्रतिशत तक की उसके उपयोग आने वाली कब्जाशुदा भूमि को सम्मिलित कर, इनमें से जो भी कम हो, का पट्टा नियम 146 के प्रावधानानुसार स्थल निरीक्षण करवाए जाने के पश्चात एवं नियम 148 व 149 के अनुसार नोटिस जारी कर प्राप्त आक्षेपों का निपटारा करने के पश्चात जारी किया जावे। चूंकि अप्रार्थी संख्या दो को उक्त विवादित पट्टा वर्ष 2009 में जारी किया गया है, तो ऐसे में उक्त विवादित पट्टे पर राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के वर्ष 2013 के संशोधन नियम लागू नहीं होते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत आदर्श द्वारा जारी पट्टा संयुक्त सामलाती भूमि का होने के उपरान्त अन्य व्यक्तियों की सहमति उपरान्त उक्त पट्टा जारी किया गया है एवं पत्रावली पर उपलब्ध आपत्ति नोटिस में भी दो मौतबिरानों के हस्ताक्षर नहीं है, जिनके समक्ष उक्त आपत्ति नोटिस को चस्पा किया गया। जहां तक अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा किया गया पंजीकृत पट्टे का सवाल है तो इस न्यायालय की लाईब्रेरी में उपलब्ध विधिक दृष्टांत 2018 (3) RLW 2325 Raj घेवरचंद बनाम राजस्थान सरकार में बताया गया है कि Registration of a patta is only a Consequential event and when the pattas are found to have been issued contrary to the obtaining rules, the mere registration thereof cannot be treated as a safe harbor. The cancellation of said patta by the competent authority will also thus entail would follow consequences in law rendering the registration thereof ineffective and inconsequential. अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 007113 दिनांक 14.09.2009 क्षेत्रफल 2271 वर्गफीट को निरस्त करते हुए पत्रावली इस निर्देश के साथ ग्राम पंचायत आदर्श को प्रतिप्रेषित की जाती है कि उक्त भूखण्ड की मौके पर कब्जे व मालिकी स्वामित्व की जांच कर एवं राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नए सिरे से पट्टा जारी करें।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:20:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner